समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला निर्वाचन कार्यालय)

आदेश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार–सह–सरकार के प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक: ब0–02/आ0–(103–0001)/02/2018–निर्वा0– 44/आ0 दिनांक: 26.02.2019 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्राप्त मुख्य शीर्ष 2015–निर्वाचन–00–103– निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण–0001–विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची के विषय शीर्ष 0001.13.01 कार्यालय व्यय इकाई अन्तर्गत मुंगेर जिला को ₹12,00,000.00 (बारह लाख) रुपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। जिसे निम्न प्रकार स्तम्भ (2) में अंकित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उनके सामने स्तम्भ (4) में अंकित राशि उपावंटित की जाती है :–

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	0001.13.01 कार्यालय व्यय		
		वित्तीय वर्ष 2018–19 में पूर्व में आवंटित राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष 2018–19 में वर्त्तमान में आवंटित की जा रही राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष 2018–19 में वर्त्तमान आवंटन को मिलाकर कुल आवंटित राशि (₹ में)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर	900000.00	1200000.00	2100000.00
2	प्र0 वि0 पदा0, असरगंज	245002.00	0.00	245002.00
3	प्र0 वि0 पदा0, तारापुर	333338.00	0.00	333338.00
4	प्र0 वि0 पदा0, टेटियाबम्बर	240002.00	0.00	240002.00
5	प्र0 वि0 पदा0, ह0 खड़गपुर	719622.00	0.00	719622.00
6	प्र0 वि0 पदा0, संग्रामपुर	301671.00	0.00	301671.00
7	प्र0 वि0 पदा0, सदर मुंगेर	1153346.00	0.00	1153346.00
8	प्र0 वि0 पदा0, बरियारपुर	351671.00	0.00	351671.00
9	प्र0 वि0 पदा0, धरहरा	416673.00	0.00	416673.00
10	प्र0 वि0 पदा0, जमालपुर	676675.00	0.00	676675.00
	योगः–	**5338000.00**	**1200000.00**	**6538000.00**

2. उपावंटित राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2015–निर्वाचन–00–103– निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण–0001–विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची के विषय शीर्ष 0001.13.01 कार्यालय व्यय में वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उपावंटित राशि मांग संख्या–06 के अन्तर्गत है एवं इसका विपत्र कोड– 06–2015001030001 है।

4. यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक–251/वि0 दिनांक 27.02.2018, पत्रांक–354/वि0 दिनांक 28.03.2018 एवं पत्रांक–को0प्र0/कम्प्यूटर–07/2015–6903 दिनांक 13.09.2018 के आलोक में आवंटित है।

5. भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों/वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर व्यय से संबंधित निर्गत अनुदेशों तथा बिहार कोषागार संहिता एवं बिहार वित्त नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के अधीन ही इस आवंटित राशि का व्यय किया जायेगा।

6.(i) यह राशि वित्तीय वर्ष 2018–19 में मतदाता सूची से संबंधित कार्यों पर हुये व्यय के भुगतान हेतु आवंटित है। इस आवंटन से पूर्व वित्तीय वर्षों के किसी भी लंबित दायित्व का भुगतान नहीं किया जायेगा। तदालोक में नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत ज़िम्मेवारी होगी।

(ii) आवंटित राशि की निकासी ए0सी0 विपत्र पर कदापि नहीं की जायेगी।

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तद्नुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

8. आवंटित राशि का भुगतान किये जाने से पूर्व संबंधित फर्म/व्यक्ति से नियमानुसार **GST** की कटौती करने का दायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

9. आवंटित राशि से विपत्रों का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक निधि अन्तरण प्रक्रिया (Electronic fund Transfer Process)/बैंक ड्राफ्ट/RTGS/NEFT आदि के माध्यम से संबंधित को किया जायेगा।

10. उपावंटित राशि के व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पांचवी तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को तथा मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

10. इस आवंटन आदेश की सभी पृष्ठ अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित है।

06/03

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
—सह—
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांकः 355 /नि0, दिनांकः 06/03/19

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

06/03

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
—सह—
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांकः 355 /नि0, दिनांकः 06/03/19

प्रतिलिपिः मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार,—सह—सरकार के प्रधान सचिव बिहार पटना के पत्रांकः 44/आ0 दिनांक 26.02.2019 के आलोक में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

06/03

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
—सह—
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।